प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. – 452/22 दिनांक – 25/11/2022

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7, 7 ए

(ब) अधिनियम – .... धाराये – ....

(स) अधिनियम – .... धाराये – ....

(द) अन्य अधिनियम – धाराये – 120 बी, 201 आईपीसी

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 437 समय – 6:30 P.M.

ब. अपराध के घटने का दिन – गुरूवार, दिनांक – 24.11.2022 समय – 01.52 पी.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 19.11.2022 समय – 12..30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख पश्चिम 105 किलोमीटर लगभग

(ब) पताः– सरकारी निवास स्थान आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर।

बीट संख्या जरायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – श्री अनिल बोराणा (ब) पिता/पति का नाम – श्री कस्तूरचंद

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 23 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – कॉलेज छात्र (र) पता – जबरदस्त हनुमान मंदिर वाली गली बालोतरा जिला बाडमेंर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

1. श्री जोधाराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति बिश्नोई उम्र 42 साल निवासी ग्राम जम्भसागर पोस्ट भीयासर पुलिस थाना भोजासर जिला जोधपुर हाल आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर
2. श्री प्रकाश बिश्नोई पुत्र श्री सुखराम जाति बिश्नोई उम्र 31 साल निवासी 10/336 सी.एच.बी. जोधपुर हाल दलाल नगर परिषद बालोतरा,
3. श्री परसाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट उम्र 33 साल देशान्तरी समाज भवन के पास, रामदेव टांका, वार्ड संख्या 01 बालोतरा जिला बाडमेंर हाल सफाई कर्मचारी नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 1,00,000/– रू.**

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............. कोई नहीं..........

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट...

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
स्पेशल यूनिट जोधपुर

विषयः– मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करनें बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै अनिल बोराना पुत्र श्री कस्तूरचंद घांची उम्र 23 साल निवासी जबरदस्त हनुमान मन्दिर वाली गली, बालोतरा जिला बाडमेंर का रहनें वाला हू मै वर्तमान में पढाई कर रहा हूं मेरे पिताजी श्री कस्तूरचंद व चाचा जी श्री पारसमल पुत्र श्री खीमाराम जी के नाम सें न्यू बस स्टैण्ड बालोतरा पर खसरा नम्बर 324/1 का कृषि भूमि का एक प्लाट है उसका 90 बी का लीज डीड जारी करनें हेतु एवं व्यवसायिक पट्टा जारी करवानें कें लिए नगर परिषद बालोतरा में दिनांक 17.10.2022 कों आवेदन किया हुआ है। इस कृषि भूमि के प्लाट का व्यवसायिक पट्टा जारी करनें के लिए नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त श्री जोधाराम बिश्नोई सें मिला, तब उन्होनें कृषि भूमि का व्यवसायिक पट्टा जारी करनें की एवज में मुझसे एक लाख रूपयें नियमन राशि के अतिरिक्त रिश्वत के रूप में मांगा एवं कहा कि मेरे प्राईवेट व्यक्ति श्री प्रकाश बिश्नोई से जाकर मिल लो वो आपकों पूरी प्रकिया समझा देगा व रिश्वत के 1 लाख रूपयें श्री प्रकाश बिश्नोई को दे देना। मैनें मेरे स्तर पर पता किया तों खसरा नम्बर 324/1 में मेरी फाईल नम्बर 5183 में नक्शा विवरण अंकित कर दिया गया है। एवं लीज डीड व नियमन राशि 4,56,222 रूपयें की गणना लिपिक द्वारा कर दी गई है। लेकिन आयुक्त नगर परिषद बालोतरा श्री जोधाराम बिश्नोई द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये है। मै आयुक्त के प्राईवेट व्यक्ति श्री प्रकाश बिश्नोई से नगर परिषद में ही मिला तब उसनें मेरी फाईल दिखातें हुए कहा कि आप एक लाख रूपयें रिश्वत की व्यवस्था कर दो आयुक्त साहब नें कहा पैसें आनें के बाद पत्रावली पर हस्ताक्षर हो जायेगे। श्रीमान जी मै मेरे पिताजी श्री कस्तूरचंद व चाचाजी श्री पारसमल के नाम नियमानुसार कृषि भूमि पर व्यवसायिक पट्टा जारी करवानें के लिए नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त श्री जोधाराम बिश्नोई वं उनके दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई कों 1 लाख रूपयें की रिश्वत राशि नही देना चाहता हू बल्कि रिश्वत लेतें रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा व इनके दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई सें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही है ना ही कोई लेन देन बकाया है। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावे। मै प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटो प्रति व मेरे कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज की रसीद की फोटो प्रति संलग्न पेश कर रहा हूं।

दिनांकः– 19.11.2022

भवदीय
एसडी
(अनिल बोराणा)
पुत्र श्री कस्तूरचंद घांची
जाति घांची उम्र 23 साल निवासी
जबरदस्त हनुमान मंदिर वाली गली
बालोतरा, जिला बाडमेंर।
मोबाईल नम्बर 8764117610

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 19.11.2022 समय 12.30 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री अनिल बोराणा पुत्र श्री कस्तूरचंद घांची उक्तरोक्त रिपोर्ट के साथ कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी की रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

एसडी (अनिल बोराणा) 19.11.22	एसडी (रतनाराम) 23.11.22	एसडी (सुनील प्रसाद) 23.11.22	एसडी (राजेन्द्रसिंह) निरीक्षक पुलिस 22/11/22	एसडी (डॉ.दुर्गसिंह राजपुरोहित) 19/11/22 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 19.11.2022 समय 12.30 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री अनिल बोराना पुत्र श्री कस्तुरचंद घांची जाति घांची उम्र 23 साल निवासी जबरदस्त हनुमान मन्दिर वाली गली, बालोतरा जिला बाडमेंर नें कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि " उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै अनिल बोराना पुत्र श्री कस्तूरचंद घांची उम्र 23 साल निवासी जबरदस्त हनुमान मन्दिर वाली गली, बालोतरा जिला बाडमेंर का रहनें वाला हूं मै वर्तमान में पढाई कर रहा हूं मेरे पिताजी श्री कस्तूरचंद व चाचा जी श्री पारसमल पुत्र श्री खीमाराम जी के नाम सें न्यू बस स्टैण्ड बालोतरा पर खसरा नम्बर 324/1 का कृषि भूमि का एक प्लाट है उसका 90 बी का लीज डीड जारी करनें हेतु एवं व्यवसायिक पट्टा जारी करवानें कें लिए नगर परिषद बालोतरा में दिनांक 17.10.2022 कों आवेदन किया हुआ है। इस कृषि भूमि के प्लाट का व्यवसायिक पट्टा जारी करनें के लिए नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त श्री जोधाराम बिश्नोई सें मिला, तब उन्होनें कृषि भूमि का व्यवसायिक पट्टा जारी करनें की एवज में मुझसे एक लाख रूपयें नियमन राशि के अतिरिक्त रिश्वत के रूप में मांगा एवं कहा कि मेरे प्राईवेट व्यक्ति श्री प्रकाश बिश्नोई से जाकर मिल लो वो आपकों पूरी प्रकिया समझा देगा व रिश्वत के 1 लाख रूपयें श्री प्रकाश बिश्नोई को दे देना। मैनें मेरे स्तर पर पता किया तों खसरा नम्बर 324/1 में मेरी फाईल नम्बर 5183 में नक्शा विवरण अंकित कर दिया गया है। एवं लीज डीड व नियमन राशि 4,56,222 रूपयें की गणना लिपिक द्वारा कर दी गई है। लेकिन आयुक्त नगर परिषद बालोतरा श्री जोधाराम बिश्नोई द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये है। मै आयुक्त के प्राईवेट व्यक्ति श्री प्रकाश बिश्नोई से नगर परिषद में ही मिला तब उसनें मेरी फाईल दिखातें हुए कहा कि आप एक लाख रूपयें रिश्वत की व्यवस्था कर दो आयुक्त साहब नें कहा पैसें आनें के बाद पत्रावली पर हस्ताक्षर हो जायेगे। श्रीमान जी मै मेरे पिताजी श्री कस्तूरचंद व चाचाजी श्री पारसमल के नाम नियमानुसार कृषि भूमि पर व्यवसायिक पट्टा जारी करवानें के लिए नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त श्री जोधाराम बिश्नोई वं उनके दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई कों 1 लाख रूपयें की रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेतें रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा व इनके दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई सें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही है ना ही कोई लेन देन बकाया है। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावे। मै प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटो प्रति व मेरे कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज की रसीद की फोटो प्रति संलग्न पेश कर रहा हूं" परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से मंगवाकर परिवादी श्री अनिल बोराना को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई।

वक्त 01.30 पी.एम. पर कार्यालय के श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 व परिवादी श्री अनिल बोराणा का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा बताया गया कि संदिग्ध अधिकारी शनिवार व रविवार को अवकाश होनें के कारण आज नही मिलेगे। जिस पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी से सम्पर्क होनें पर कार्यालय हाजा में सम्पर्क करनें व कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

दिनांक 21.11.2022 वक्त 02.00 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर बताया कि परिवादी श्री अनिल बोराणा नें मुझे कॉल करके बताया कि आज मेरी आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा से रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है। जिस पर आप बालोतरा आ जाओ। मै आपकों वहां पर उपस्थित मिल जाउगा। जिस पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर सुपर्द कर हिदायत के साथ बालोतरा जिला बाडमेंर की तरफ रवाना किया गया कि आप परिवादी से सम्पर्क कर व परिवादी व आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा अथवा उसके दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई सें मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लावें।

दिनांक 22.11.2022 वक्त 11.00 ए.एम. पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 ने कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि "मैं निर्देशानुसार एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर सें डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर लेकर दिनांक 21.11.2022 कों रवाना हुआ। समय 5.30 पी.एम. पर बस से बालोतरा पहुचां। बालोतरा बस स्टैण्ड पर परिवादी श्री अनिल बोराणा मुझे उपस्थित मिला। परिवादी द्वारा आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त व उनके दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई की नगर परिषद में उपस्थिति के बारें में पता किया तों उनका आयुक्त के सरकारी निवास पर होना ज्ञात हुआ। जिस पर समय करीब 06.46 पी.एम. पर मन् कानि. द्वारा परिवादी श्री अनिल बोराणा को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर देकर आरोपीगण से मांग सत्यापन वार्ता करनें हेतु आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के सरकारी निवास पर रवाना किया गया। मै गोपनीय रूप सें आसपास अपनी उपस्थिति छिपा करके खडा रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री अनिल बोंराणा मेरे पास उपस्थित आाय। मै परिवादी से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपनें पास सुरक्षित रखा। परिवादी नें मन् कानि. को बताया कि मेरी आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त व श्री प्रकाश बिश्नोई दोनों की एक साथ रूबरू मांग सत्यापन वार्ता हुई है आयुक्त नगर परिषद बालोतरा श्री जोधाराम के दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई द्वारा परिवादी को एक लाख रूपयें एक दिन बाद रिश्वत राशि लेकर आनें का कहा। इसके बाद मैनें श्रीमान को मांग सत्यापन वार्ता होनें का टेलीफोन सें सूचित किया। जिस पर श्रीमान के निर्देशानुसार मै परिवादी को रिश्वत राशि एक लाख की व्यवस्था करनें हेतु वहीं पर छोडकर जोधपुर उपस्थित आया। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो श्री परिवादी अनिल बोराणा व आरोपीगण श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर व श्री प्रकाश बिश्नोई दलाल के मध्य रूबरू बात होना व दलाल प्रकाश बिश्नोई द्वारा आयुक्त सें काम करवानें की एवज में परिवादी सें एक लाख रूपयें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता में श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त के रूबरू श्री प्रकाश बिश्नोई दलाल द्वारा परिवादी कों एक लाख रूपयें रिश्वत राशि एक दिन छोडकर लेकर आनें की मांग स्पष्ट रूप से होना पाया गया है। जिस पर कार्यालय में उपस्थित पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह को अपनें कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री अनिल बोराणा की रिपोर्ट व पत्रावली सुपुर्द कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री अनिल बोराणा व आरोपीगण श्री जोधाराम बिश्नोई व श्री प्रकाश बिश्नोई के बीच हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है, कों सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करनें के निर्देश दिये गये। एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य में व्यस्त हुआ।

वक्त 12.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया तों परिवादी श्री अनिल बोराणा के पिताजी श्री कस्तूरचंद व चाचा श्री पारसमल पुत्र श्री खीमाराम के नाम न्यू बस स्टैण्ड बालोतरा पर खसरा नम्बर 324/1 का कृषि भूमि के प्लॉट पर 90 बी का लीज डीड जारी करनें व व्यवसायिक पट्टा जारी करवानें के लिए नगर परिषद बालोतरा में पत्रावली लगी हुई है। उक्त पत्रावली पर व्यवसायिक पट्टा जारी करनें की एवज में आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर व उसके दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई द्वारा रिश्वत मांगनें की रिपोर्ट दी गई है। उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 21.11.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता आरोपीगण व परिवादी के बीच रूबरू हुई है। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो श्री परिवादी अनिल बोराणा व आरोपीगण श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर व श्री प्रकाश बिश्नोई दलाल के मध्य रूबरू बात होना व दलाल प्रकाश बिश्नोई द्वारा आयुक्त सें काम करवानें की एवज में परिवादी सें एक लाख रूपयें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता में श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त के रूबरू श्री प्रकाश बिश्नोई दलाल द्वारा परिवादी कों एक लाख रूपयें रिश्वत राशि एक दिन छोडकर लेकर आनें की मांग स्पष्ट रूप से होना पाया गया है। जिस पर आईन्दा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर ट्रेप कार्यवाही करनें का निर्णय लिया गया।

वक्त 04.00 पी.एम. पर डा. दुर्गसिह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक के पास ब्यूरो शहर चौकी का अतिरिक्त चार्ज होने से ट्रेप टीम में सहयोग हेतु श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक कों एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पर दिनांक 23.11.2022 को समय 7.15 ए.एम. पर भिजवानें हेतु अनुरोध

'किया गया। जिस पर उनके द्वारा मनीष वैष्णव व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक एसीबी चौकी जोधपुर कों दिनांक 23.11.2022 को समय 7.15 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई।

वक्त 05.00 पी.एम. पर दिनांक 23.11.2022 को ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने पर श्रीमान सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 2040 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा दो स्वतंत्र गवाहान दिनांक 23.11.2022 को 7.00 ए.एम पर उपलब्ध करवाने हेतु तहरीर श्री गणेश कानि. नम्बर 219 के साथ जेडीए जोधपुर प्रेषित की गई।

वक्त 06.00 पी.एम. पर श्री गणेश कानि. जेडीए जोधपुर से वापिस आया और एक तहरीर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की। गणेश कानि. दोनों गवाहान को जेडीए जोधपुर में दिनांक 23.11.2022 को समय 7 ए. एम. पर कार्यालय आनें हेतु पाबन्द कर उपस्थित आया। और तहरीर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की। जिससे शामिल रंनिग नोट की गई।

दिनांक 23.11.2022 वक्त 07.15 ए.एम. पर परिवादी श्री अनिल बोराणा व दोनों स्वतन्त्र गवाह जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से पूर्व से पाबन्द शुदा हाजिर आये है एवं एसीबी चौकी जोधपुर से श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक पूर्व से पाबन्द शुदा हाजिर चौकी आयें है।

समय 07.20 ए.एम. पर कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दो स्वतंत्र गवाहान एव परिवादी श्री अनिल बोराणा कार्यालय हाजा पर उपस्थित है। जिनको मन् राजेन्द्रसिह पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछने पर श्री सुनील प्रसाद पुत्र श्री ब्रहमदेव प्रसाद जाति कुम्हार उम्र 57 साल निवासी 4 जी/10–11, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जिला जोधपुर हाल भू अभिलेख निरीक्षक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9351168673श्री रतनाराम पुत्र श्री हरजी राम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील कुचामन जिला नागौर हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8000658589 होना बताया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री अनिल बोराणा का आपसी परिचय करवाया गया। मन् राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी अनिल बोराणा द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट को पढ़कर दोनों गवाहान को सुनाई गई और दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवायी गई। परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट को पढ–सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजात परिवादी के आधार कार्ड व जमा रसीद की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान नें अपने अपने हस्ताक्षर किये। मन् राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी अनिल बोराणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन कर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री अनिल बोराणा एवं आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर एवं उनके दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की दिनांक 21.11.2022 की वार्ता रिकार्ड है, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता, की रिकॉर्डिंग के मुख्य–मुख्य मांग अंश को दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया गया, जिसमें आरोपीगण द्वारा परिवादी सें 1,00,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया है। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

समय 07.50 ए.एम. पर दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री अनिल बोराणा द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री अनिल बोराणा ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ रूपयें के 200 नोट कुल राशि 1,00,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री अनिल बोराणा द्वारा प्रस्तुत नोटों पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 1,00,000 रूपये के नोटो पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अनिल बोराणा की जामा तलाशी गवाह श्री सुनील प्रसाद से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 8764117610 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त

फिनोफथलीन पाउडर युक्त 1,00,000 रूपये जो श्री जोधाराम आयुक्त नगर पालिका बालोतरा व श्री प्रकाश विश्नोई प्राईवेट व्यक्ति को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री अनिल बोराणा के पेन्ट की दाहिनी जेब में श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अनिल बोराणा को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि के पेन्ट की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9414169480 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। फर्द पेशकसी पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई।

समय 08.45 ए.एम. पर परिवादी श्री अनिल बोराणा को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 5,000 रूपये अपने पास रखे।

समय 08.51 ए.एम पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, परिवादी श्री अनिल बोराणा मय स्वतंत्र गवाह श्री सुनील प्रसाद भू अभिलेख निरीक्षक व श्री रतनाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय मय ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि0 501, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373, श्री गणेश कानि. नम्बर 219 ,श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 ब्यूरो के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रेमसिंह एवं मन् निरीक्षक पुलिस का निजी वाहन मय ब्यूरों का ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर से बालोतरा के लिए रवाना हुए।

समय 09.20 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मय हमराहीयान के हाजिर चौकी पर आया और हालात इस प्रकार से है कि एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर से मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के समय 10.40 ए.एम. पर बालोतरा नगर पालिका के पास पहुंचे। जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों सरकारी वाहन व निजी वाहन को गोपनीय रूप सें खड़ा करवाकर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी श्री अनिल बोराणा कों नगर परिषद बालोतरा के लिए रवाना किया गया। परिवादी के पीछे पीछे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432, श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को भी रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान के सरकारी वाहन व निजी वाहन में ही बैठकर रिश्वत राशि लेन देन के इन्तजार में मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात् ही परिवादी श्री अनिल बोराणा बिना ईशारा किये ही मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया। जिस पर मन् निरीक्षक

पुलिस द्वारा श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ करवाकर अपनी अभिरक्षा में रखा। परिवादी नें बताया कि नगर परिषद आयुक्त के आवास पर गया तों आवास में श्री प्रकाश बिश्नोई दलाल मुझे मिला। जिसनें कहा कि साहब कहीं बाहर गये हुए है। जिस पर मेरे द्वारा मुख्य आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद के उपस्थित नही होनें पर सह आरोपी श्री प्रकाश बिश्नोई से मिल कर वापिस आया हूं। परिवादी नें बताया कि श्री जोधाराम बिश्नोई के नगर परिषद बालोतरा में उपस्थित नही होनें पर मैनें सह आरोपी श्री प्रकाश बिश्नोई को रिश्वत राशि की पेशकसी नही की। परिवादी नें यह भी बताया कि मुख्य आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई के नगर परिषद में उपस्थित होनें पर ही रिश्वति राशि लेन देन किया जावेगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के नगर परिषद बालोतरा के आसपास ही गोपनीय रूप सें अपनी उपस्थिति छिपा कर मुकीम रहे। समय करीब 06 पी.एम. पर परिवादी नें गोपनीय रूप सें पता कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री जोधाराम बिश्नोई अपनें सरकारी निवास स्थान पर आ चुका है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑन करवाकर परिवादी को सुपर्द कर आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त के सरकारी निवास स्थान पर समय 06.12 पी.एम. पर रवाना किया गया। परिवादी के पीछे पीछे श्री रामचन्द्रसिंह कानि. श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैड कानि., श्री भंवरलाल कानि. कों भी रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरों जाब्ता व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के वाहनों में गोपनीय रूप सें मुकीम रहे। कुछ समय बाद परिवादी श्री अनिल बोराणा बिना कोई गोपनीय ईशारा किये मेरे पास उपस्थित आया। जिस पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 सें परिवादी से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर स्वीच ऑफ करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस नें अपनें कब्जें मे सुरक्षित रखा। परिवादी नें मन् निरीक्षक पुलिस कों बताया कि मै नगर परिषद आयुक्त के सरकारी निवास स्थान पर गया तों मुझे श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद का दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई उपस्थित मिला। प्रकाश बिश्नोई नें कहा कि साहब घर पर नही है। मैनें आपकों कहा था ना कि कल आना। जिसके कुछ समय पश्चात ही आयुक्त श्री जोधाराम बिश्नोई बाहर से आयुक्त के सरकारी निवास पर उपस्थित आया। और मुझे कहा कि आप कल आना और कल आपका काम हो जायेगा। मेरे मोबाईल नम्बर श्री जोधाराम बिश्नोई द्वारा लिये गये। और कहा कि मै आपकों कॉल कर दूंगा। इसके बाद आज ट्रेप कार्यवाही होना संभव नही होनें पर परिवादी से स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील प्रसाद भू अभिलेख निरीक्षक सें रिश्वत राशि परिवादी की दाहिनी जेब सें निकलवाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा निजी वाहन के डेस बोर्ड में उक्त रिश्वत राशि को एक सफेद लिफाफे में डाला जाकर रखी गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी का फोन आनें पर तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस कों बताये। इसके बाद परिवादी कों वही पर छोडकर मन् निरीक्षक पुलिस सरकारी वाहन व निजी वाहन के मय हमराहीयान के समय पी.एम. पर बालोतरा सें रवाना होकर जोधपुर एसीबी स्पेशल यूनिट पहुचा। चौकी पर निजी वाहन मे रखी गई रिश्वत राशि स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील प्रसाद भू अभिलेख निरीक्षक सें सफेद लिफाफा मन् निरीक्षक पुलिस नें अपनी अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को भी पाबन्द किया गया कि कभी भी कॉल करनें पर तुरन्त कार्यालय पहुचना है। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान कों कार्यालय से कार्यवाही की गोपनीयता बरतनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

दिनांक 24.11.2022 समय 09.30 ए..एम. पर परिवादी श्री अनिल बोराणा का श्री रामचन्द्रसिह कानि. नम्बर 432 के मोबाईल नम्बर 9413249784 पर परिवादी श्री अनिल बोराणा के मोबाईल नम्बर 8764117610 से समय 08.30 ए.एम. पर कॉल आया और कहा कि श्री जोधाराम बिश्नोई आज नगर परिषद आनें के लिए बोल रहा है। जिस पर श्री रामचन्द्र सिंह कानि. नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद का परिवादी श्री अनिल बोराणा के फोन पर तीन बार कॉल आया परन्तु परिवादी के स्नान घर में होनें के कारण कॉल अटैण्ड नही कर पाया। जिस पर परिवादी श्री अनिल बोराणा नें अपनें मोबाईल नम्बर 8764117610 से श्री जोधाराम बिश्नोई के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो उसने कहा कि आज आप आ जाओं। श्री रामचन्द्र सिंह कानि. के मन् निरीक्षक पुलिस को कॉल करनें पर मन् निरीक्षक पुलिस नें स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरों जाब्ता को तुरन्त एसीबी कार्यालय स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुचनें के निर्देश दिये। वक्त 09.30 ए.एम. पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, श्री गणेशराम कानि 219, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनील प्रसाद भू

अभिलेख निरीक्षक व श्री रतनाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय एवं ब्यूरो के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रेमसिंह एवं मन् निरीक्षक पुलिस का निजी वाहन मय ब्यूरों का ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, रिश्वति राशि 1,00,000 रूपयें एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, साफ पानी के दो बोतलें एवं हाथ धोने का साबुन सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर से बालोतरा के लिए रवाना हुआ।

समय 02.20 पी..एम. पर हालात इस प्रकार है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर से रवाना होकर बालोतरा कस्बा से थोडा पहलें वक्त 11.20 ए.एम. पर पहुंचे। जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री अनिल बोराणा अपनी निजी मोटर साईकिल से उपस्थित आया।

परिवादी श्री अनिल बोराणा की जामा तलाशी गवाह श्री सुनील प्रसाद से लिरवाई जाकर परिवादी के पास उसका मोबाईल फोन व निजी वाहन मोटरसाईकिल की चाबी उसके पास रहनें दी गई, उक्त के अतिरिक्त कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज व राशि एवं वस्तु नही रहनें दी गई, तत्पश्चात् रिश्वत राशि 1,00,000 रूपयें कों निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन की डेस्क बोर्ड से लिफाफे से निकलवाकर गवाह श्री सुनील प्रसाद भू अभिलेख निरीक्षक को सुपर्द कर कार्यालय में पूर्व से तैयार फर्द पेशकसी गवाह श्री रतनाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय को सुपर्द कर मिलान करवाई गई तों फर्द पेशकसी के हुबहु रिश्वत राशि 500-500 रूपयें की दो गड्डिया कुल राशि 1,00,000 रूपयें होना पाई गई। जिस पर श्री सुनील प्रसाद भू अभिलेख निरीक्षक स्वतन्त्र गवाह से रिश्वत राशि 1,00,000 रूपयें परिवादी श्री अनिल बोराणा के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाई गई। इसके बाद श्री सुनील प्रसाद भू अभिलेख निरीक्षक एवं श्री रतनाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत राशि के लिफाफे को जलवाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि जब आरोपी द्वारा रिश्वति राशि चाहनें पर ही उसे जेब से निकालकर देवे। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान दोनों वाहन सरकारी टवेरा व निजी वाहन एवं परिवादी की निजी मोटर साईकिल पर परिवादी एवं कानि. श्री रामचन्द्र सिह को बिठाकर नगर परिषद बालोतरा के पास पहुचे। उसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के सरकारी वाहन टवेरा एव निजी वाहन सें नगर परिषद बालोतरा के आसपास गोपनीय रूप सें दोनों वाहनों को एवं परिवादी की निजी मोटर साईकिल को खडा करवाकर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑन करवाकर परिवादी श्री अनिल बोराणा कों नगर परिषद बालोतरा के लिए समय 12.15 पी.एम. पर रवाना किया गया। परिवादी के पीछे पीछे श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, श्री गणेश कानि. नम्बर 219 एवं श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 कों भी परिवादी के गोपनीय ईशारें के लिए अलग अलग गोपनीय रूप से रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी के गोपनीय ईशारें के इन्तजार में नगर परिषद बालोतरा के आसपास गोपनीय रूप सें मुकीम रहा।

काफी समय बाद परिवादी श्री अनिल बोराणा बिना ईशारें किये ही मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन के पास आया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि. श्री रामचन्द्रसिंह नम्बर 432 से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर बन्द करवाकर सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में रखा। परिवादी श्री अनिल बोराणा नें मन् निरीक्षक पुलिस कों बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर नगर परिषद आयुक्त श्री जोधाराम बिश्नोई के कार्यालय कक्ष में गया तों उन्होनें मेरी फाईल मेरे से ही नगर परिषद कार्यालय से ही मंगवाई। मैनें फाईल लाकर श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा कों लाकर दी। उन्होनें मुझें कहा कि आपकों मै बैक में जमा होनें वाली राशि को जमा कराओ। मैनें पत्रावली में हस्ताक्षर कर दिये है। आप बैक में चालान के रूपयें जमा करवाकर आ जाओं उसके बाद मै आपकों कॉल करूगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी को मय कानि. श्री रामचन्द्रसिंह के बैक में पैसें जमा करवानें के लिए भेजा गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष ब्यूरों जाब्ता के नगर परिषद बालोतरा के आसपास गोपनीय रूप से परिवादी के राशि जमा करवाकर आनें के इन्तजार में मुकीम रहा।

कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री अनिल बोराणा व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 मेरे पास आयें और परिवादी नें मुझे बताया कि मै रास्तें में अपनें घर कोई कागजात लेने जा रहा था, रास्तें में ही श्री जोधाराम बिश्नोई का मेरे मोबाईल नम्बर 8764117610 पर श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के मोबाईल नम्बर 9982306863 से समय 1.33 पी.एम. पर कॉल आया और बताया कि आप कहा हो और आप आ जाओं। इतनें में ही श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त का परिवादी के मोबाईल नम्बर पर समय 1.46 पी.एम. पर पुनः कॉल आया कि आये नही। जिस पर समय 01.48 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अनिल बोराणा को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. से ऑन करवाकर श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त के सरकारी आवास नगर परिषद बालोतरा के पास वाली गली के लिए रवाना किया गया। परिवादी श्री अनिल बोराणा के पीछे पीछे श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63,

श्री रामचन्द्रसिंह कानि. ,श्री देवाराम कानि., श्री भंवरलाल कानि. व श्री गणेश कानि को भी रिश्वत राशि लेन देन होनें पर आवास के आसपास गोपनीय रूप सें खडा होनें के लिए रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष ब्यूरों जाब्ता नगर परिषद बालोतरा के आसपास परिवादी के गोपनीय ईशारें के इन्तजार में मुकीम रहे।

तत्पश्चात् समय 01.52 पी.एम. पर परिवादी श्री अनिल बोराणा का मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर रिश्वत राशि लेन देन होनें का गोपनीय ईशारा मिस कॉल आया। जिस पर रिश्वत राशि आदान प्रदान हो जानें का गोपनीय ईशारा मिस कॉल का होनें पर मन् निरीक्षक पुलिस व दोनो स्वतन्त्र गवाहान व हमराहीयान जाब्ता के सरकारी वाहन सहित परिवादी के पास आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के सरकारी आवास के पास पहुंचे। इतनें में परिवादी नें एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर अपनी मोटर साईकिल सें रवाना हो गया। ब्यूरों जाब्ता श्री मेंघराज हैड कानि. व मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को पकड कर उससें उसका परिचय पूछा तों उस व्यक्ति नें अपना नाम श्री जोधाराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति बिश्नोई उम्र 42 साल निवासी ग्राम जम्भसागर पोस्ट भीयासर पुलिस थाना भोजासर जिला जोधपुर हाल आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर होना बताया। जिसको रिश्वत राशि के बारें में पूछा तो उसनें कुछ बतानें से इन्कार कर दिया। जिस पर श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त के दोनों हाथ श्री प्रकाश कानि. व श्री देवाराम कानि. से पकडवाया गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के पीछे श्री रामचन्द्रसिंह कानि. श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैड कानि. व श्री गणेश कानि. कों रवाना किया गया। समय करीब 02 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 मय परिवादी श्री अनिल बोराणा, श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस व श्री मेघराज हैड कानि., श्री गणेश कानि. के आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के सरकारी आवास पर आया और परिवादी नें मुझे बताया कि मैनें रिश्वत राशि 1,00,000 रूपयें श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त के कहनें पर परसाराम को दी थी। जिस पर परसाराम नें मेरे सामनें ही रिश्वत राशि श्री जोधाराम बिश्नोई कों दे दी। जोधाराम बिश्नोई नें रिश्वत राशि अपनें हाथ में लेकर परसाराम कों राशि देकर वहां से रवाना होनें का कहा। जिस पर मै परसाराम की मोटर साईकिल के पीछे पीछे बस स्टैण्ड तक गया। मैनें बस स्टैण्ड के पास मोटर साईकिल रिश्वत राशि लेकर गये परसाराम के पास ले जाकर चलतें हुए परसाराम कों कहा कि तुझे आयुक्त साहब बुला रहे है परन्तु परसाराम बस स्टैण्ड के आसपास मेरी ऑखों से ओझल हो गया है। मेरे पीछे श्री रामचन्द्रसिंह कानि. बस स्टैण्ड पर आयें। जिन्होनें मेरे से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपनें कब्जे में लिया। परसाराम रिश्वत राशि लेकर फरार हो गया है। जिस पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 नें मन् निरीक्षक पुलिस को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द किया गया। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की जावेगी। परिवादी सें रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरों जाब्ता के रूबरू मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पुनः पूछा गया तों परिवादी नें बताया कि यही श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा है, जिन्होनें मेरे सें रिश्वत राशि एक लाख रूपयें परसाराम कों देनें के लिए कहा। मेरे द्वारा परसाराम को रिश्वत राशि दे दी। जिस पर परसाराम नें एक लाख रूपयें रिश्वत राशि श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त को हाथ में दी। श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नें परसाराम को रिश्वत राशि देकर वहां सें जानें का कहा। श्री परसाराम वहां से एक मोटरसाईकिल लेकर रिश्वत राशि सहित फरार हो गया। मै उसके पीछे पीछे बस स्टैण्ड तक गया भी लेकिन श्री परसाराम रिश्वत राशि लेकर फरार हो गया। जिस पर श्री जोधाराम बिश्नोई से पूछा तों उसनें कहा कि मैनें कोई रिश्वत राशि नही ली है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें श्री जोधाराम बिश्नोई से कहा कि आपकी परिवादी से सारी बातें डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। तसल्ली सें श्री जोधाराम बिश्नोई से पूछा तो उसनें कहा कि साहब मेरे से गलती हो गयी है। परिवादी मेरे पास अपनें व्यवसायिक भूखण्ड का पट्टा हेतु मेरे से आज मिला था। मैनें इसकों पट्टे की पत्रावली पर राशि जमा करवानें हेतु पत्रावली पर हस्ताक्षर भी किये थे। इसनें मुझे एक लाख रूपयें लेकर पट्टा जारी करनें मेरे सरकारी आवास पर मैनें फोन करके बुलाया था। श्री अनिल बोराणा नें मेरे आवास पर आकर एक लाख रूपयें मुझे देनें के लिए लाया था। जिसकों मैनें मेरे नगर परिषद के सफाईकर्मी श्री परसाराम कों दिलवाये थे। श्री परसाराम नें श्री अनिल बोराणा के सामनें ही मुझे रिश्वत राशि दी थी। जिस पर मुझे परिवादी पर शक हो जानें के कारण मैनें उस एक लाख रूपयें की रिश्वत राशि कों श्री परसाराम कों सुपर्द कर जानें का ईशारा किया था। जिस पर श्री परसाराम अपनी मोटर साईकिल सें रिश्वत राशि लेकर फरार हो गया। जिस पर श्री जोधाराम बिश्नोई के मोबाईल फोन सें भी परसाराम कों फोन करवाया गया परन्तु उसनें फोन अटैण्ड नही किया।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी अनिल बोराणा एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में आयुक्त के सरकारी निवास में से साफ पीने का पानी बोतल में मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा–आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर

परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई की जामा तलाशी गवाह श्री सुनील प्रसाद भू अभिलेख निरीक्षक से लिरवाई गई तों आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई के पहनी हुए कमीज की आगे की जेब में एप्पल कम्पनी का आईफोन 13 प्रों मैक्स जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 358900783587925 2. 358900783003030 जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 9982306863 उक्त मोबाईल फोन एप्पल प्रो मैक्स कों कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। आरोपी ने अपना मोबाईल फोन एप्पल के पासवर्ड 161980 होना बताया। आरोपी के पेन्ट की दहिनी जेब में 640 रूपयें होना पाया गया। जिसके बारें में आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई से पूछनें पर अपने खर्चे के होनें बताये। आरोपी के पेन्ट की बायी जेब में एक परिचय पत्र राजस्थान सरकार के विभाग का जारी श्री जोधाराम बिश्नोई पुत्र श्री रामजीलाल बिश्नोई पद आयुक्त के नाम से जारी होना पाया गया। जिसकों भी कब्जा ब्यूरों लिया गया।

मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी नें बताया कि उक्त ट्रेप कार्यवाही में मेरे से दिनांक 21.11.2022 कों मांग सत्यापन वार्ता में एक लाख रूपयें रिश्वत राशि मांगनें वाला व्यक्ति श्री प्रकाश पास के आवास में मौजूद है। जिस पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस व श्री गणेश कानि. को दस्तयाब करनें हेतु भिजवाया गया। थोडी देर में ही मन् निरीक्षक पुलिस कों श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस नें एक व्यक्ति को लाकर पेश किया। जिसका मन् निरीक्षक पुलिस नें नाम पता पूछा तों उसने अपना नाम प्रकाश बिश्नोई पुत्र श्री सुखराम जाति बिश्नोई उम्र 31 साल निवासी 10/336 सी.एच.बी. जोधपुर हाल दलाल नगर परिषद बालोतरा होना बताया। जिससे परिवादी श्री अनिल बोराणा की तरफ ईशारा कर पूछा तों श्री प्रकाश नें बताया कि यह श्री अनिल बोराणा है जिनकी व्यवसायिक पट्‌टे हेतु पत्रावली आयुक्त साहब के पास चल रही है। मेरी इनसे बातचीत हुई थी। जो आयुक्त साहब के सामनें ही हुई थी। मैनें आयुक्त साहब के कहनें पर ही श्री अनिल बोराणा सें उसके पट्‌टे की पत्रावली हेतु एक लाख रूपयें रिश्वत राशि की मांग की थी। आयुक्त साहब स्वेच्छा सें रिश्वत राशि में से मुझे अपना हिस्सा दे देतें है। मै आयुक्त साहब के पास जो भी पत्रावली निर्णय होनें के लिए आती है उस पत्रावली के व्यक्ति सें आयुक्त साहब के निर्देशानुसार लेन देन की बात तय कर लेता हूं। इसके बाद आयुक्त साहब के अनुसार ही रिश्वत राशि लेतें है। नगर परिषद बालोतरा में जो भी पत्रावली आयुक्त के पास आती है उसमें मै ही परिवादियो से मिलकर उनका कार्य करवाता हू। साहब मेरे से गलती हो गयी। आरोपी श्री प्रकाश की जामा तलाशी गवाह श्री रतनाराम से लिवाई गई तो उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु राशि ईत्यादि नही पाई गई।

इसके बाद आरोपी श्री परसाराम की दस्तयाबी हेतु श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक को सरकारी वाहन सें बालोतरा शहर के लिए रवाना किया गया।

ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री अनिल बोराणा के पास नगर परिषद बालोतरा की उसकी व्यवसायिक पट्‌टे आवेदन की सम्पूर्ण पत्रावली परिवादी को आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा द्वारा बैक में राशि जमा करवानें हेतु मूल ही नगर परिषद कार्यालय से सुपुर्द की थी, उक्त पत्रावली प्रकरण में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उक्त पत्रावली परिवादी द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के व्यवसायिक पट्‌टे आवेदन की पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी नें मन् निरीक्षक पुलिस को यह भी बताया कि उक्त पत्रावली के पृष्ट संख्या 02 पर आज श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नें हस्ताक्षर कर मुझे राशि जमा करवानें बाबत कहा था। जिसका भी अवलोकन किया गया तों परिवादी के कथनों की ताईद हुई। आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त के हस्ताक्षर व दिनांक 24.11.2022

अंकित की हुई है। जिस पर आईन्दा उक्त पत्रावली को नगर परिषद बालोतरा को मूल ही सुपुर्द कर ट्रेप कार्यवाही में उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जावेगी। जिस पर उक्त परिवादी के मूल पट्टा पत्रावली को पेज संख्या 01 से 17 तक में प्रथम पेज व अन्तिम पेज 17 पर परिवादी, दोनों स्वतन्त्र गवाह एवं मन् निरीक्षक पुलिस नें हस्ताक्षर कर कब्जा ब्यूरों ली गई।

ट्रेप कार्यवाही में सह आरोपी श्री परसाराम ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर सें एक लाख रूपयें रिश्वत राशि लेकर फरार हो चुका है। जिसकी दस्तयाबी हेतु एसीबी के निरीक्षक पुलिस श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस व श्री भंवरलाल कानि. व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक मय सरकारी वाहन सें तलाश हेतु गये हुए है, जो बालोतरा शहर में पुलिस की सहायता से आरोपी की तलाश कर रहे है। सह आरोपी श्री परसाराम नगर परिषद बालोतरा में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत होना भी ज्ञात हुआ है। उक्त सह आरोपी श्री परसाराम रिश्वत राशि लेकर फरार हो चुका है। अतः इसकी दस्तायाबी कर प्रकरण में रिश्वत राशि एक लाख रूपयें बरामद करना शेष है। अतः उक्त श्री परसाराम की दस्तायाबी कर ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री जोधाराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति बिश्नोई उम्र 42 साल निवासी ग्राम जम्भसागर पोस्ट भीयासर पुलिस थाना भोजासर जिला जोधपुर हाल आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर एवं सह आरोपी श्री प्रकाश बिश्नोई पुत्र श्री सुखराम जाति बिश्नोई उम्र 31 साल निवासी 10/336 सी.एच.बी. जोधपुर हाल दलाल नगर परिषद बालोतरा, श्री परसाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट उम्र 33 साल देशान्तरी समाज भवन के पास, रामदेव टांका, वार्ड संख्या 01 बालोतरा जिला बाडमेंर हाल सफाई कर्मचारी नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर का अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी, 201 आईपीसी का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री जोधाराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति बिश्नोई उम्र 42 साल निवासी ग्राम जम्भसागर पोस्ट भीयासर पुलिस थाना भोजासर जिला जोधपुर हाल आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर एवं सह आरोपी प्रकाश बिश्नोई पुत्र श्री सुखराम जाति बिश्नोई उम्र 31 साल निवासी 10/336 सी.एच.बी. जोधपुर हाल दलाल नगर परिषद बालोतरा को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी।

वक्त 04.15 पी.एम. पर मौके की कार्यवाही लगभग हो चुकी है। पास ही नगर परिषद कार्यालय होने एवं बहुत ज्यादा भीडभाड होनें पर सुरक्षा की दृष्टि सें मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा व श्री प्रकाश बिश्नोई दलाल कों लेकर पुलिस थाना बालोतरा के लिए मय ट्रेप कार्यवाही में बरामद सैम्पल ईत्यादि के मय ट्रेप बाक्स के निजी वाहन व पुलिस थानें के सरकारी वाहन सें रवाना हुआ। आयुक्त के सरकारी आवास को ताला लगवाकर चाबी अपनें कब्जें में रखी।

वक्त 04.25 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस थाना बालोतरा पहुंचा। जहां पर थानाधिकारी श्री उगमराज सोनी से ब्यूरों की अग्रिम कार्यवाही बाबत निवेदन किया गया तों उन्होनें अपनी अनुमति दे दी। जिस पर पुलिस थाना पहुंच निरीक्षक पुलिस नें कार्यवाही हेतु एक कमरें में थानाधिकारी की अनुमति सें ब्यूरों की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रवेश हुए। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा थानाधिकारी श्री उगम राज सोनी निरीक्षक पुलिस सें ट्रेप कार्यवाही में वांछित सह आरोपी श्री परसाराम सफाई कर्मचारी की दस्तयाबी हेतु निवेदन किया गया। इसी दौरान श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री भंवरलाल कानि. व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक आरोपी श्री परसाराम की पतारसी हेतु गये हुए भी हाजिर चौकी आये। जिस पर थानाधिकारी को निवेदन कर पुनः श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक व थानें के अन्य कानि. के साथ आरोपी परसाराम की पतारसी हेतु रवाना किया गया।

वक्त 05.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस कों परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाह की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब करना है जिस पर दोनों आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त व श्री प्रकाश बिश्नोई दलाल कों श्री देवाराम कानि. श्री रामचन्द्रसिंह कानि. व श्री गणेश कानि. कों आरोपीगण व ट्रेप बॉक्स सुपुर्द कर नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब करनें हेतु आयुक्त के निवास स्थान पर श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 के दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी सहित आयुक्त के निवास स्थान की चाबी सहित निजी वाहन सें रवाना हुआ।

वक्त 05.45 पी.एम. पर दोनों रूबरू दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री मेघराज हैड कानि. की हस्तकलमी से मूर्तिब करवा कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर आरोपी के निवास स्थान पर कोई घरेलू सामान ही होना व कोई संदिग्ध राशि ईत्यादि नही होनें पर खाना तलाशी नही ली गई। और आवास की चाबी वहां पर उपस्थित श्री मोहित खन्ना कनिष्ठ अभियन्ता को दी गई तथा परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान व श्री मेघराज हेड कानि. के पुलिस थाना बालोतरा आया। और ट्रेप बॉक्स व आरोपीगण कों अपने कब्जे में लिया गया। नक्शा मौका को शामिल रंनिग नोट किया गया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें थानाधिकारी व थानें के पुलिसकर्मियों की सहायता से रिश्वत राशि लेकर फरार हुए श्री परसाराम की दस्तयाबी हेतु प्रयास थाने पर रहकर किये गये।

समय 08.00 पी.एम. बाद पूछताछ के आरोपी श्री जोधाराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति बिश्नोई उम्र 42 साल निवासी ग्राम जम्भसागर पोस्ट भीयासर पुलिस थाना भोजासर जिला जोधपुर हाल आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी, 201 आईपीसी से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

समय 08.30 पी.एम. पर बाद पूछताछ के सह आरोपी श्री प्रकाश बिश्नोई पुत्र श्री सुखराम जाति बिश्नोई उम्र 31 साल निवासी 10/336 सी.एच.बी. जोधपुर हाल दलाल नगर परिषद बालोतरा को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

समय 09.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री परसाराम सफाई कर्मचारी नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर का सेवा विवरण चाहनें तहरीर नगर परिषद के कर्मचारी को सुपुर्द कर अधिशाषी अभियन्ता योगेश कुमार कुमावत कों उनके मोबाईल सें फोन कर अविलम्ब सेवा विवरण भिजवानें हेतु निवेदन किया गया।

समय 11.00 पी.एम.पर श्री योगेश कुमार कुमावत अधिशाषी अभियन्ता नें आरोपी श्री परसाराम का सेवा विवरण मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। जिससे शामिल रनिग नोट किया गया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें मय ब्यूरों जाब्ता, परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के पुलिस थानें पर ही भोजन किया गया।

दिनांक 25.11.2022 वक्त 01.00 ए.एम. पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री सुनील प्रसाद भू अभिलेख निरीक्षक व श्री रतनाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, परिवादी श्री अनिल बोराणा मय ब्यूरो जाब्ता, श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त व श्री प्रकाश बिश्नोई दलाल मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री एवं आरोपी जोधाराम बिश्नोई के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, आरोपी जोधाराम बिश्नोई का एप्पल का मोबाईल फोन मय एक सिम, जोधाराम का विभागीय परिचय पत्र सहित सरकारी वाहन टवेरा व निजी वाहन सें पुलिस थाना बालोतरा जिला बाडमेर सें एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर के लिए रवाना हुआ। श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस व श्री गणेश कानि. नम्बर 219 को रिश्वत राशि लेकर फरार आरोपी श्री परसाराम की दस्तयाबी हेतु पुलिस थाना बालोतरा में ही छोडकर व दस्तायाबी हेतु हुई प्रगति से मन निरीक्षक पुलिस को अवगत करानें हेतु निर्देशित किया गया।

वक्त 02.45 ए.एम.पर फिकरा उपरोक्त का पुलिस थाना बालोतरा से रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुचा। तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को समय 09.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया। परिवादी श्री अनिल बोराणा को कार्यालय में ही रूकनें की व्यवस्था की गई तथा समय 9 ए.एम. पर कार्यालय में तैयार रहनें के लिए निर्देशित किया गया। ब्यूरों स्टाफ कों भी वक्त 9 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत दी गई।

वक्त 02.50 ए.एम. पर आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई व श्री प्रकाश बिश्नोई का मेडिकल चैकअप एवं कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नही होनें के कारण श्रीमान मेडिकल ऑफिसर राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के नाम पृथक पृथक तहरीर जारी कर श्री अयुबखान उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री देवाराम कानि. नम्बर 373, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 एवं आरोपी जोधाराम बिश्नोई व श्री प्रकाश बिश्नोई के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री खमाराम कानि. को रवाना सेटेलाईट हास्पिटल पावटा जोधपुर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 03.00 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में आरोपी जोधाराम बिश्नोई के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, आरोपी जोधाराम बिश्नोइ का एप्पल का मोबाईल फोन मय एक सिम, जोधाराम का विभागीय परिचय पत्र के आरोपी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में ईन्द्राज करवा कर जमा मालखाना करवायें गये।

वक्त 03.30 ए.एम पर आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई व श्री प्रकाश बिश्नोई का मेडिकल चैकअप एवं पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में दाखिल करवाकर श्री अयुबखान उप निरीक्षक मय हमराहीयान के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। एवं पुलिस थाना उदयमन्दिर पर एसीबी चौकी जोधपुर के श्री भूरसिंह कानि. नम्बर 23 कों आरोपीगण की निगरानी ड्यूटी हेतु मामुर किया गया।

वक्त 09.10 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री सुनील प्रसाद व श्री रतनाराम कार्यालय एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पर उपस्थित आयें है। परिवादी श्री अनिल बोराणा पूर्व से ही कार्यालय में ही उपस्थित है।

वक्त 09.15 ए.एम. पर परिवादी श्री अनिल बोराणा एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री अनिल बोराणा एवं आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर एवं उनके दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई के मध्य दिनांक 21.11.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्ता कों दोनो गवाहान श्री सुनील प्रसाद व श्री रतनाराम व परिवादी अनिल बोराणा के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी अनिल बोराणा के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई व प्रकाश बिश्नोई एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री अनिल बोराणा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी जोधाराम बिश्नोई व श्री प्रकाश बिश्नोई की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की पांच सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की चार सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। चार डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 10.45 ए.एम. पर परिवादी श्री अनिल बोराणा एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री अनिल बोराणा एवं आरोपी श्री उनके दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई के मध्य दिनांक 23.11.2022 को रिश्वती राशि लेन देन से पूर्व हुई वार्ता, परिवादी श्री अनिल बोराणा व सह आरोपी श्री परसाराम सफाई कर्मी, सह आरोपी श्री प्रकाश बिश्नोई दलाल व मुख्य आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई के मध्य रूबरू हुई लेन देन से पूर्व हुई वार्ता, दिनांक 24.11.2022 को रिश्वत राशि वक्त लेन देन रूबरू वार्ता परिवादी श्री अनिल बोराणा व मुख्य आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई व सह आरोपी श्री परसाराम सफाई कर्मचारी के मध्य रिकॉर्ड है, उक्त वार्ता कों दोनो गवाहान श्री सुनील प्रसाद व श्री रतनाराम व परिवादी अनिल बोराणा के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी अनिल बोराणा के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई व प्रकाश बिश्नोई, परसाराम बिश्नोई एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री

अनिल बोराणा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी जोधाराम बिश्नोई व श्री प्रकाश बिश्नोई व परसाराम की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की पांच सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की चार सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। चार डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना करवाई गई।

समय 04 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री अनिल बोराणा के मोबाईल पर आरोपीगण श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर से हुई वार्ता की अपनें मोबाईल पर टेलीफोनिक वार्ता को परिवादी के मोबाईल में सुना जाकर उक्त वार्ता की कार्यालय हाजा के कम्प्युटर से जोडकर वार्ता की सीडी तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर द्वारा परिवादी श्री अनिल बोराणा के पिता जी श्री कस्तूरचंद एव चाचा श्री पारसमल पुत्र श्री खेमाराम के नाम न्यू बस स्टैण्ड बालोतरा पर खसरा नम्बर 324/1 की 90 बी लीज डीड जारी करनें व व्यवसायिक पट्टा जारी करनें की एवज में दिनांक 21.11.2022 को मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री अनिल बोराणा से 1,00,000/—रूपये रिश्वत राशि अपनें दलाल श्री प्रकाश बिश्नोई के रूबरू मांग करना, दिनांक 24.11.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादी श्री अनिल बोराणा से आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त द्वारा रिश्वत राशि श्री परसाराम कर्मचारी नगर परिषद को देनें के लिए कहना, श्री परसाराम द्वारा रिश्वत राशि श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त को देना, श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त द्वारा रिश्वत राशि 1,00,000 रूपयें श्री परसाराम कों वापिस देकर वहां से पैसे लेकर रवाना होने का कहना, आरोपी जोधाराम बिश्नोई के दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, श्री प्रकाश बिश्नोई दलाल द्वारा दिनांक 21.11.2022 को आरोपी श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त के रूबरू ही परिवादी श्री अनिल बोराणा से एक लाख रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना, श्री परसाराम कर्मचारी नगर परिषद बालोतरा द्वारा रिश्वत राशि लेकर फरार हो जाना, उसकी दस्तयाबी हेतु प्रयास कर रिश्वत राशि की बरामदगी शेष होना, उक्त तीनों आरोपीगण श्री जोधाराम बिश्नोई आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर व सह आरोपी श्री प्रकाश बिश्नोई दलाल व श्री परसाराम कर्मचारी नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी, 201 आईपीसी का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री जोधाराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति बिश्नोई उम्र 42 साल निवासी ग्राम जम्भसागर पोस्ट भीयासर पुलिस थाना भोजासर जिला जोधपुर हाल आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर एवं सह आरोपी श्री प्रकाश बिश्नोई पुत्र श्री सुखराम जाति बिश्नोई उम्र 31 साल निवासी 10/336 सी.एच.बी. जोधपुर हाल दलाल नगर परिषद बालोतरा, श्री परसाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट उम्र 33 साल देशान्तरी समाज भवन के पास, रामदेव टांका, वार्ड संख्या 01 बालोतरा जिला बाडमेंर हाल सफाई कर्मचारी नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेंर का अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी, 201 आईपीसी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित है।

(राजेन्द्रसिंह)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी, 201 भा0दं0सं0 में आरोपीगण 1. श्री जोधाराम विश्नोई, आयुक्त, नगर परिषद् बालोतरा, बाडमेर 2. श्री प्रकाश विश्नोई पुत्र श्री सुखराम विश्नोई (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी 10/336, सी.एच.बी. जोधपुर, हाल दलाल, नगर परिषद बालोतरा, बाड़मेर एवं 3. श्री परसाराम, सफाई कर्मचारी, नगर परिषद् बालोतरा, जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 452/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

25/11/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 3905-09 दिनांक 25.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. आयुक्त, नगर परिषद् बालोतरा, बाड़मेर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

25/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।